न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 20/2023 G.C.M.S. No. 2023/167 दर्ज दिनांक : 13.03.2023

अपीलार्थिगण:

1. पुकाराम पुत्र श्री जसाराम, जाति कीर, जरिये आममुख्तियार संपत पुत्र श्री पुकाराम, जाति कीर निवासी कीरों की ढाणी, मानपुरा, तहसील पाली जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. अब्दुल सत्तार पुत्र श्री लालजी
2. अब्दुल गफार पुत्र श्री लालजी, जातिगण मुसलमान निवासी जंगीवाडा, पाली।
3. जीवाराम पुत्र स्व. श्री भानाराम
4. ताराचंद पुत्र स्व. श्री भानाराम
5. घेवराराम पुत्र स्व. श्री भानाराम, जातिगण कीर निवासी मानपुरा भाकरी, तहसील व जिला पाली।
6. अणसी देवी पत्नी स्व. श्री प्रकाशजी
7. मांगीलाल पुत्र स्व. श्री प्रकाशजी
8. ललित पुत्र स्व. श्री प्रकाशजी
9. नर्बदा पुत्री स्व. श्री प्रकाशजी
10. देवी पुत्री स्व. श्री प्रकाशजी, जातिगण कीर निवासी मानपुरा भाकरी, तहसील व जिला पाली
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.12.2022 प्रकरण संख्या 11/2021 बअनवान अब्दुल सत्तार वगैरह बनाम पुखाराम वगैरह में श्रीमान उपखंड अधिकारी पाली द्वारा पारित किया गया एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री नौरतन चौहान विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मोहम्मद अयूब खान एवं मोहम्द तारीक अनवर, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 30.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी पाली के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 11/2021 बअनवान अब्दुल सत्तार वगैरह बनाम पुखाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 11 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पाली में कृषि भूमि भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र, पाली में खसरा नंबर 1269 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि किस्म नहरी दोयम लगान 10 रूपये आई हुई हैं, जिसकी तसदीक नहीं हुई हैं। उपरोक्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 के पिता लाला वल्द

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अब्दुल रहमान की मृत्यु के बाद उनके वारिसानों के नाम हुई व जरिये नामांतरकरण संख्या 2863 दिनांक 04.01.2013 के प्रार्थीगण व लाला के वारिसान के नाम से दर्ज हुई, तब से रेस्पोंडेंटगण कब्जाकाश्त कर रहे हैं। प्रार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि जिसके खसरा नंबर 1269 है, में आने–जाने का कोई रास्ता नहीं हैं, न ही कोई रेकर्डेड रास्ता है। अर्थात् आने–जाने का कोई रास्ता ही नहीं हैं। प्रार्थीगण की भूमि बीच में स्थित होने के कारण रास्ता मात्र अप्रार्थी की भूमि से मुख्य सड़क तक ही बन सकता है। जो भूमि अप्रार्थी संख्या 1 पुखाराम वल्द जसाराम कीर के नाम से खसरा नंबर 1260 के रूप में हैं तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण की भूमि के उत्तर दिशा में स्थित है। अप्रार्थी के खसरा नंबर 1266 में कुल 10 बीघा भूमि है तथा उसके पूर्वी माठ के सहारे–सहारे प्रार्थीगण को रास्ता मिलता है, तो उपरोक्त भूमि रास्ते के सबसे करीब है तथा प्रार्थीगण की भूमि से भी सीधी व करीब है। जिससे प्रार्थीगण को 30 फीट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। अप्रार्थी की उक्त भूमि से रास्ता प्रदान कराने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते भी मौजूद नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1269 में आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नंबर 1260 में से 30 फीट चौडाई में मुख्य रास्ते तक का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि प्रकरण में अपील दिनांक 24.11.2021 को दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर तहसीलदार बाली से रिपोर्ट तलब होकर पत्रावली दिनांक 25.11.2021 को पेश होने हेतु नियत की गई। जिसके उपरांत पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प कोर्ट पाली में पेश हुई, जहां से पेशी इल्तवा होकर दिनांक 15.03.2022 को नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली में निरंतर आगामी पेशियां विभिन्न कारणों से नियत की गई तथा अंत में दिनांक 12.12.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध अपीलांट को बिना सुने एवं जवाब का अवसर बंद करते हुए उक्त जैर अपील आदेश पारित किया गया। प्रकरण में प्रार्थी ने अपील पेश करते समय मूल 251 (क) के प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया था। जिसके बाद दिनांक 08.12.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र नक्शा संलग्न पत्रावली फरमाने हेतु पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का जवाब मानते हुए माफिक फेहरिस्त नक्शा रेकर्ड पर लिया जावें, फिर इस्तदुआ चाही। उक्त प्रार्थना पत्र को पेश करने के उपरांत अपीलांट प्रार्थी द्वारा जवाब हेतु अवसर चाहा, किन्तु जवाब का अवसर दिए बिना उक्त प्रार्थना पत्र को विधिविरूद्ध स्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा प्रकरण में मौका फर्द बनाने से पूर्व श्रीमान तहसीलदार द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं न ही साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु अवसर देकर उक्त मौका फर्द एकपक्षीय रूप से जरिये पटवारी तैयार की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने, बिना जवाब एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए एवं एकपक्षीय मौका फर्द को आधार मानकर उक्त जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कि विधि में प्रदत्त प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन रेस्पोंडेंटगण को तलब किया गया।

रेस्पोंडेंट अब्दुल सत्तार द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह अपील लड़ना नहीं चाहता है। इसलिए अपील फैसल फरमावें एवं प्रार्थी रेस्पोंडेंट सत्तार द्वारा जमा कराई गई राशि 186056/– रूपये प्रार्थी को वापस लौटाया जावें एवं अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करते हुए प्रार्थी रेस्पोंडेंट द्वारा जमा कराई गई राशि को पुनः लौटाने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा कारित विलंब सद्भाविक होने से विलंबकाल को माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता तथा निकटतम दूरी व न्यूनतम रकबे जैसे आज्ञापक प्रावधानों का परीक्षण नहीं किया है, साथ ही प्रकरण में मौका फर्द पटवारी पाली प्रथम की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को निर्णित कर दिया गया, जबकि धारा 251 (क) के प्रकरणों में भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। अतः अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी रेस्पोंडेंट अब्दुल सत्तार एवं अब्दुल गफार पुत्रगण लालजी द्वारा रसीद संख्या 089, बुक नंबर 0473258 दिनांक 01.02.2023 द्वारा तहसीलदार पाली द्वारा जमा प्रतिकर राशि 186056/– रूपये प्रार्थीगण (जमाकर्ता) को पुनः लौटाने का निर्देश दिया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 11/2021 बअनवान अब्दुल सत्तार वगैरह बनाम पुखाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार पाली को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 की पालना में प्रार्थीगण द्वारा रसीद संख्या 089, पुस्तक संख्या 0473258 दिनांक 01.02.2023 द्वारा जमा प्रतिकर राशि रूपये 186056/– (अक्षरे एक लाख छियासी हजार छप्पन रूपये मात्र) प्रार्थीगण (जमाकर्ता) को तत्काल पुनः लौटाया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय आज दिनांक **30.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner